अन्तर्गत धारा - 09 - R-9 CPC

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प०क्र० 28/17 अशोक आदि बनाम सुखा आदि वगैरा	

23.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम सालरियाकंला पेश हुई। उभयपक्ष पक्षकारान नियत शिविर में अनुपस्थित। प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सी.पी.सी. पुनः नम्बर पर लिए जाने सम्बधित मूल राजस्व वाद पत्र बाबत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बारीकी से अध्ययन एंव परीक्षण किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/वादी पक्ष की और से कोई उपस्थित नही हो सकने के हेतुक के तौर पर प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई ठोस/संतोषप्रद अथवा माकूल कारण अवगत नही करा, केवल मात्र यह अंकित कर दिया है कि ''नियत सुनवाई पर वादीगण/प्रार्थीगण के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो पाने का कारण मजबूरीयुक्त रहा है'' जो कि न्यायिक दृष्टि से उपयुक्त नही है, एंव इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में अपने खारिज हुए मूल राजस्व वाद संख्या 124/2008 के निर्णय दिनांक का कही कोई उल्लेख नही किया है। जिससे कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में विलम्ब अवधि की गणना की जा सके एंव प्रार्थनापत्र पर किसी प्रकार का निर्णय पारित किये जाने में सुविधा हो।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. दोषयुक्त होकर, मेन्टनेबल नही होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी सहाड़ा
जिला भीलवाड़ा, राज.